CERTIFICATE PROGRAMME IN CONSUMER PROTECTION (Revised) (CCP)

Term-End Examination June, 2023

CPI-102 : REDRESSAL OF CONSUMER GRIEVANCES : ROLE OF VARIOUS STAKEHOLDERS

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

Note: (i) All Parts are compulsory.

- (ii) Part A: All any four questions. Each question carries 5 marks.
- (iii) **Part B**: Answer any **five** questions. Each question carries 10 marks.
- (iv) **Part C**: Answer any **two** questions. Each question carries 15 marks.

Part—A

Note: Attempt any four of the following in about 150 words each. Each question carries 5 marks. $4 \times 5 = 20$

1. Media awareness

[2] CPI-102

- 2. Direct Consumer Information Centre
- 3. Grahak Suvidha Kendra
- 4. Public Advocacy
- 5. District Consumer Protection Council

Part—B

- Note: Answer any five questions in about

 300 words each. Each question carries

 10 marks. 5×10=50
- 6. Discuss the salient features of Advertising Standards Council of India (ASCI) Code.
- 7. Discuss the main functions of Confederation of Indian Industry (CII).
- 8. Discuss the nexus between Voluntary
 Consumer Organisations (VCOs) and the
 Consumer Protection Act.
- 9. Discuss the essentials/pre-requisites of a Campaign and Advocacy Programme.
- 10. Discuss an alternative view of Managerial Processes.
- 11. Discuss the importance of 'Lokpal' in India.

[3] CPI-102

12. Discuss the types, advantages and stages involved in the process of mediation.

Part—C

- Note: Attempt any two questions in about 500 words each. Each question carries 15 marks. 2×15=30
- 13. Discuss in detail the campaign 'Jago Grahak Jago'.
- 14. Discuss in detail the suggestions for making an organisation viable and effective.
- 15. Discuss in detail the origin, growth and development of 'Consumer Interpol'.
- 16. Discuss in detail the stages involved in Resolving Consumer Issues by National Consumer Helpline [NCH].

CPI-102

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (संशोधित) (सी. सी. पी.) सत्रांत परीक्षा

जून, 2023

सी.पी.आई.-102 : उपभोक्ता शिकायत निवारण : विविध हितधारकों की भूमिका

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट :(i) सभी भाग अनिवार्य हैं।

- (ii) **भाग क**: किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।
- (iii) **भाग ख**: किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।
- (iv) **भाग ग :** किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक हैं।

भाग-क

- **नोट** : निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। $10 \times 2 = 20$
- मीडिया जागरूकता

- 2. जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र
- 3. ग्राहक सुविधा केन्द्र
- 4. लोक (हिमायत) पैरोकारी (Public Advocacy)
- 5. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

भाग-ख

- नोट: किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं। 5×10=50
- भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ए. एस. सी. आई.)
 कोड की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
- भारतीय उद्योग पिरसंघ (सी. आई. आई.) के मुख्य प्रकार्यों की चर्चा कीजिए।
- 8. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वी. सी. ओ.) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आपसी सम्बन्ध की चर्चा कीजिए।
- 9. अभियान एवं परोकारी (Advocacy) कार्यक्रमों की अनिवार्यताओं/पूर्वापेक्षित बिन्दुओं की चर्चा कीजिए।
- 10. प्रबन्धकीय प्रक्रमों के वैकल्पिक पक्ष की चर्चा कीजिए।
- 11. भारत में 'लोकपाल' के महत्व की चर्चा कीजिए।

12. मध्यस्थता के प्रकारों, फायदों एवं इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की चर्चा कीजिए।

भाग-ग

- नोट: किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक हैं। $2 \times 15 = 30$
- 'जागो ग्राहक जागो' अभियान की सिवस्तार चर्चा कीजिए।
- 14. किसी संगठन को व्यवहार्य एवं प्रभावी बनाने के सुझावों की सविस्तार चर्चा कीजिए।
- 15. 'कंज्युमर इंटरपोल' के उद्भव, संवृद्धि एवं विकास की सविस्तार चर्चा कीजिए।
- 16. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन. सी. एच.) द्वारा उपभोक्ता मुद्दों को निपटाने में सम्मिलित चरणों की सिवस्तार चर्चा कीजिए।